"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जनवरी 2012—पौष 26, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक 314/डी. 16/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 237 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 237 की उपधारा (2) का लोप किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 237 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) इस संहिता के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि को सुरक्षित रखने के पश्चात् उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित उस ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत के आधिक्य की भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए, यथा कृषि, आबादी, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, शाला, कॉलेज, विद्युत केन्द्र, गौशाला, घटकारों (कुम्हारों) द्वारा मिट्टी का उत्खनन या अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए, के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा."

(3) मूल अधिनियम की धारा 237 की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(4) जब उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि का व्यपवर्तन, राज्य शासन की अथवा राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य हो जाए, किन्तु जो उप-धारा (3) में सम्मिलित नहीं है, तब कलेक्टर, स्वयं को संतुष्ट कर लेने के उपरांत कि ऐसे निस्तार अधिकारों की पूर्ति हेतु समान क्षेत्र की वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी गई है, भूमि के ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तन का युक्ति-युक्त आदेश पारित कर सकेगा."

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक 314/डी. 16/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2012)

CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (1) Sub-section (2) of Section 237 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall be omitted. **Amendment of Section 237.**

(2) For sub-section (3) of Section 237 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(3) Subject to the rules made under this Code, the Collector after securing the land mentioned in clause (b) of sub-section (1) to minimum two percent of the total agriculture land of that village, may divert such excess land as mentioned in clause (b) of sub-section (1) into any other purposes as agriculture, abadi, construction of roads, canals, tanks, hospitals, schools, colleges, power station, gaushalas, excavation of clay by potters (kumhars) or any other public utility projects as may be determined by the State Government."

(3) After sub-section (3) of Section 237 of the Principal Act, the following shall be added, namely :—

"(4) When it becomes indispensable to divert the land set apart for the purposes mentioned in sub-section (1) for such projects which are owned or approved by the State Government, but not covered under sub-section (3), the Collector, after satisfying himself that alternative land of equivalent area has been made available for fulfilling the same Nistar Rights, may divert the land for such purposes by passing a reasoned order to this effect."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.